प्रेषक,

अंकित कुमार विहान,
अपर सिविल जज (जू0डि0)
कक्ष संख्या–25, एटा।

सेवा में,

आदरणीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा– माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया,
एटा।

विषयः– शासनादेश संख्या– 17051/दो–4–2011–45(12)/91 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 03.01.2012 एवं शासनादेश संख्या–1363/दो–4–2009–45 (12)/91 दिनांक 13.05.2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय विधि स्नातकोत्तर एल0एल0एम0 धारक होने के कारण तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय मंहगाई भत्ता नियुक्ति की तिथि दिनांक 27.07.2018 प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में दिनांक 27.07.2018 को अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष संख्या–25, एटा के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। प्रार्थी उत्तरप्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय विधि स्नातकोत्तर एल0एल0एम0 उपाधि धारक था। इसलिये प्रार्थी उपरोक्त शासनादेश से विधि स्नातकोत्तर होने के कारण पदभार ग्रहण करने के दिनांक 27.07.2018 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगाई भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी के द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि–धारक होने के संबंध में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के आवेदन में भी वर्णन किया गया है।

अतः आदरणीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रार्थी को पदभार ग्रहण करने के दिनांक 27.07.2018 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगाई भत्ता प्रदान करने हेतु समुचित आदेश पारित करने के लिये प्रार्थी का प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर धन्यवाद।

1324 / Civil / 2019

प्रार्थी

AKVihan
02.05.19

दिनांक–02.05.2019

(अंकित कुमार विहान)
अपर सिविल जज (जू0डि0)
कक्ष संख्या–25 एटा।

02-05-2019

संलग्नकः–

01. विधि स्नातकोत्तर परीक्षा के अंक पत्र की छायाप्रति।
02. विधि स्नातकोत्तर उपाधि की छाया प्रति।
03. पदभार ग्रहण करने के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।